भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3543

(जिसका उत्तर मंगलवार, 27 मार्च, 2018 को दिया गया)

कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया का प्रभाव

3543. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में आरंभ की गई कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या सरकार ने देश में तथा अन्य विकासशील देशों में कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया में सुगमता का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है और यदि देश इस क्षेत्र में पिछड़ रहा है तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): मंत्रालय ने पांच भिन्न प्रक्रियाओं [निदेशक पहचान संख्या (डिन) का आवंटन, कंपनी नाम आरक्षण, कंपनी निगमन, स्थायी खाता संख्या (पैन), कर कटौती और वसूली खाता संख्या (टैन)] को एक प्रक्रिया में जोड़ने के लिए सरकारी प्रक्रिया रिइंजीनियरिंग (जीपीआर) की शुरूआत की है, जिसे कंपनी का इलैक्ट्रॉनिक रूप से निगमन करने के लिए सरलीकृत प्ररूप (स्पाइस) नामक ई-प्ररूप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जिसे ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रालय ने निगमन संबंधी ई-प्ररूप आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) की भी स्थापना की है। इस जीपीआर के परिणामस्वरूप, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आवेदन पर कार्रवाई करने और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पैन और टैन का आवंटन करने के लिए लगने वाला कुल समय लगभग 22-30 दिनों के औसत समय से घटकर औसत 1 से 2 कार्यदिवस हो गया है। इसके कारण हितधारक एक सिंगल विंडो के माध्यम से और कम लागत पर इन 5 सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। हाल ही में, मंत्रालय ने किसी कंपनी के निगमन संबंधी प्रक्रिया को कम करने हेतु नाम आरक्षण के लिए –रन - 'रिजर्व यूनिक नेम' वेब सेवा की शुरुआत की है, और 10 लाख की प्राधिकृत पूंजी वाली कंपनी या 20 सदस्यों वाली शेयर पूंजी रहित कंपनी के निगमन के लिए लगने वाले शुल्क से छूट दी है।

(ख): मंत्रालय द्वारा अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

*****